भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4567
दिनांक 27 मार्च, 2025

पेट्रोलियम आयात की बढ़ती लागत

†4567. डॉ. डी. रवि कुमार:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पेट्रोलियम आयात की बढ़ती लागत का प्रबंधन करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं तथा वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को किस प्रकार प्रभावित किया है;
(ख) क्या सरकार को भू-राजनीतिक कारकों या आपूर्ति शृंखला में आए व्यवधानों के कारण पेट्रोलियम आयात से संबंधित किसी भी हालिया चुनौती का सामना करना पड़ा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा स्थिर और किफायती आयात सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ग) क्या संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने भारत के पेट्रोलियम आयात पर कोई शुल्क लगाया है या लगाने की धमकी दी है और यदि हां, तो देश के ऊर्जा क्षेत्र पर इसके प्रभाव सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने तथा घरेलू पेट्रोलियम उत्पादन और शोधन क्षमता को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या रणनीति अपनाई जा रही है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) और (ख): कच्चे तेल के बढ़ते मूल्यों से उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र (पीएसयूज) तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) द्वारा विभिन्न कदम/उपाय उठाए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में दो बार नवंबर, 2021 और मई, 2022 में क्रमशः 13 रुपए/लीटर और 16 रुपए/लीटर की कमी है, जिसका लाभ उपभोक्ताओं को दे दिया गया था। कतिपय राज्य सरकारों ने भी नागरिकों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य वैट दरों को कम कर दिया था। मार्च 2024 में, ओएमसीज ने देश भर में पेट्रोल और डीजल के खुदरा मूल्यों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी की।

ii. आम नागरिको को उच्च अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों से सुरक्षित रखने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें कच्चे तेल की आयात बास्केट में विविधता लाना, घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व के प्रावधानों को लागू करना, पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण बढ़ाना आदि।

iii. पीएसयू ओएमसीज ने अंतर-राज्य भाड़े का युक्तिकरण किया है जिससे राज्यों के भीतर सुदूर स्थानों में रहने वाले उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिला। इस पहल ने राज्य में पेट्रोल या डीजल के अधिकतम और न्यूनतम खुदरा मूल्यों के अंतर को भी कम कर दिया है।

iv. देश भर में 10.33 करोड़ से अधिक पीएम उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं। कुछ राज्य सरकारें एलपीजी रिफिलों पर कुछ अतिरिक्त राजसहायता भी दे रही हैं और अपने संबंधित बजट से अतिरिक्त लागत वहन कर रही हैं।

सरकार वैश्विक ऊर्जा बाजारों के साथ-साथ विकसित भू-राजनीतिक स्थिति के परिणामस्वरूप संभावित ऊर्जा आपूर्ति व्यवधानों पर बारीकी से नज़र रख रही है। कच्चे तेल की आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने और एक क्षेत्र से कच्चे तेल पर निर्भरता के जोखिम को कम करने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा अपने पेट्रोलियम आयात बास्केट में विविधता लाई गई है और विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर स्थित देशों से कच्चे तेल की खरीद कर रहे हैं।

(ग) संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) अब भारत का छठा सबसे बड़ा ऊर्जा व्यापार साझेदार है, जिसमें कच्चे तेल का पांचवां सबसे बड़ा स्रोत और एलएनजी आयात का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत शामिल है। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय हाइड्रोकार्बन व्यापार 2023-24 में 13.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है।

फरवरी 2025 में भारत के प्रधान मंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान, भारत-अमेरिका संयुक्त वक्तव्य में, नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और भारत को कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों और तरलीकृत प्राकृतिक गैस के प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका को स्थापित करने के प्रयासों के तहत ऊर्जा व्यापार बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों पक्षों ने आपूर्ति विविधीकरण और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत प्राकृतिक गैस, ईथेन और पेट्रोलियम उत्पादों सहित हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में व्यापार बढ़ाने की जबरदस्त गुंजाइश और अवसर को रेखांकित किया।

इसके अलावा, भारत-अमेरिका संयुक्त वक्तव्य में 2025 तक पारस्परिक रूप से लाभकारी, बहु-क्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के पहले चरण पर बातचीत करने की योजना की भी घोषणा की गई। इस नवोन्मेष में, व्यापक बीटीए को आगे बढ़ाने के लिए, अमेरिका और भारत माल और सेवा क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत और गहरा करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाएंगे और बाजार पहुंच बढ़ाने, टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने और आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को गहरा करने की दिशा में काम करेंगे।

(घ) सरकार ने कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने के लिए एक बहुआयामी कार्यनीति अपनाई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने और गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए देश भर में ईंधन/फीडस्टॉक के रूप में प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देकर मांग प्रतिस्थापन, एथेनॉल, दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल, संपीड़ित जैव गैस और जैव डीजल जैसे नवीकरणीय और वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देना, रिफाइनरी प्रक्रिया में सुधार, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देना, विभिन्न नीतिगत पहलों के माध्यम से तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास आदि शामिल हैं। संपीडित जैव गैस (सीबीजी) के उपयोग को ऑटोमोटिव ईंधन के रूप में बढ़ावा देने के लिए किफायती परिवहन के लिए दीर्घकालिक विकल्प (सतत) पहल की शुरुआत भी की गई है। बढ़ती हुई ऊर्जा मांग की पूर्ति करने के लिए भारत घरेलू खपत को पूरा करने के लिए वर्ष 2030 तक अपनी रिफाइनिंग क्षमता को 309.5 एमएमटीपीए तक मजबूत कर रहा है।

सरकार घरेलू तेल और गैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. हाइड्रोकार्बन अन्वेषण के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए पीएससी व्यवस्था के तहत नीति, 2014
ii. खोजे गए लघु क्षेत्र नीति, 2015
iii. हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी), 2016
iv. पीएससी के विस्तार के लिए नीति, 2016 और 2017
v. कोल बेड मीथेन के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए नीति, 2017
vi. राष्ट्रीय डेटा रिपोजिटरी की स्थापना, 2017
vii. राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम, 2017 के तहत तलछटी बेसिन में गैर-मूल्यांकित क्षेत्रों का मूल्यांकन।
viii. पूर्व-नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (प्री-एनईएलपी), 2016 और 2017 के तहत खोजे गए क्षेत्रों और अन्वेषण ब्लॉकों के लिए पीएससी के विस्तार के लिए नीति ढांचा।
ix. तेल और गैस के लिए वर्धित निकासी पद्धतियों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने की नीति, 2018
x. मौजूदा उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पीएससी), कोल बेड मीथेन (सीबीएम) संविदाओं और नामांकन क्षेत्रों, 2018 के तहत अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन की खोज और दोहन के लिए नीतिगत ढांचा।
xi. प्राकृतिक गैस विपणन सुधार, 2020
xii. बोलीदाताओं को आकर्षित करने के लिए श्रेणी II और III बेसिन के तहत ओएएलपी ब्लॉकों में चरण-I में कम रॉयल्टी दरें, शून्य राजस्व हिस्सेदारी (अप्रत्याशित लाभ तक) और कोई ड्रिलिंग प्रतिबद्धता नहीं।
xiii. अपतटीय क्षेत्र में लगभग 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर (एसकेएम) 'नो-गो' क्षेत्र को छोड़ना जो दशकों से अन्वेषण के लिए अवरुद्ध था।

xiv. सरकार भूमि और अपतटीय क्षेत्रों में भूकंपीय डेटा को अधिग्रहित और स्ट्रेटीग्राफिक कूपों की ड्रिलिंग करने के लिए लगभग 7500 करोड़ रु. खर्च भी कर रही है ताकि बोलीदाताओं को भारतीय तलछटीय बेसिनों का गुणवत्तापूर्ण डेटा उपलब्ध कराया जा सके। सरकार ने भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) से आगे भूमि पर 20,000 एलकेएम और अपतटीय क्षेत्र में 30,000 एलकेएम के अतिरिक्त 2डी भूकंपीय डेटा के अधिग्रहण को मंजूरी दी है।

*****